SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): Madam, let the Government respond. *(Interruptions)*

श्री वसीम अहमद: यह बहुत गलत है, सरकार को इस पर बहस करनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

RE: NEED TO HOLD U.P.S.C. EXAMINATIONS IN ALL INDIAN LANGUAGES

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदया, भारत की संसद के द्वारा पारित किए गए एक संकल्प की याद दिलाने के लिए भारत के सर्वोच्च सदन में मैं खड़ा हुआ हूं। 18 जनवरी, 1968 को भारत की संसद ने एक संकल्प पारित किया था कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा संचालित परीक्षाओं में माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। फिर 11 जनवरी, 1991 को भी भारत की संसद ने अपने उस संकल्प को दोहराने का काम किया। लेकिन आज इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी भारत की संसद ने जो संकल्प लिया था इस संकल्प पर अमल नहीं किया जा रहा है, इसको कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, जब कि राष्ट्रपति भवन से भी दो-दो बार ऐसे आदेश किए जा चुके हैं कि संसद ने जो संकल्प पारित किया है उस संकल्प को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में माध्यम भारतीय भाषाएं होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर, इस मांग को लेकर अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के द्वारा आठ वर्षों से लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है। अब यह आंदोलन धीरे-धीरे मोमेंटम, गति प्राप्त कर रहा है। लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे हम संसद में बैठे हुए सभी लोग एकदम बिल्कुल शांत चित्त होकर बैठे हुए हों। इस पर हमें जो ध्यान देना चाहिए, इसका जो संज्ञान लेना चाहिए, अपने संकल्प का, वह हम नहीं ले पा रहे हैं। यह कहा जाता है कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। जब तक लोग अंग्रेजी नहीं जानेंगे तब तक विश्व स्तर पर भारत अपनी पहचान कैसे बना पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत अपने आप को कैसे खड़ा कर पाएगा। मैं इस तर्क को देने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है लेकिन विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसने अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के नाते अपने देश को राष्ट्रीय भाषा, अपने देश की राजभाषा के रूप में मान्यता देने का काम किया है। विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं मिलेगा। कुछ लोगों द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि अंग्रेजी नहीं रहेगी तो भारत टूट जाएगा। भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। मैं कहता हूं यदि अंग्रेजी के न रहने से भारत की अखंडता खतरे में पड़ जाएगी और अंग्रेजी के रहने से भारत की अखंडता सशक्त हो जाएगी तो क्यों नहीं अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित कर देते हैं। सच बात यह है कि आज भारी मन से मैं यह सवाल लेकर इस सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज इस आजाद भारत में 50 वर्ष हो गए हमको आजादी को प्राप्त किए हुए फिर भी हम भाषा के प्रश्न को लेकर खड़े हैं। हमारी भाषा में, हमारी जबान में हमको परीक्षा देने की अनुमति प्राप्त नहीं होती। हम सवाल को लेकर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सचमुच में भारतीय भाषाओं में जो परीक्षा देने की अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है यह हम सब के लिए एक राष्ट्रीय शर्म का विषय है। इससे बड़े शर्म की बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है।

मैं याद दिलाना चाहूंगा मैडम इस संसद को भी कि जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय हमने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आपका समय समाप्त हो चुका है। समाप्त करें।

श्री राजनाथ सिंह: संक्षिप्त कर रहा हूं।

उस समय हमने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया था। इसलिए नहीं किया था कि हमको विदेशी वस्त्रों से नफरत थी इसलिए नहीं किया था कि हमको विदेशी सामानों से नफरत थी बल्कि हमने इसलिए किया था कि ये विदेशी वस्त्र हमारे देश के बहुत सारे नौजवानों के हाथों को बेरोजगार कर देने का काम करते थे। उनके हाथों को काम करने का अवसर नहीं मिल पाता था। वैसे ही अंग्रेजी भाषा का मैं इस संसद में खड़े होकर विरोध करना चाहता हूं क्योंकि इस अंग्रेजी भाषा ने हमारे देश के 98 फीसदी लोगों के अंदर हीन भावना पैदा करने का काम किया है। हमारे समाज को दो वर्गों में बांटने का यह अंग्रेजी भाषा काम कर रही है।

इसलिए मैडम, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि एक बार 350 सांसदों ने एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को और एक बार 135 सांसदों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को देने का काम किया था और

भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह सहित, भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री वी॰पी॰ सिंह सहित और हमारे यहां पर माननीय सदस्य श्री सोमपाल और हमारे चतुरानन मिश्र जी भी जो यहां पर बैठे हैं, सब लोग धरने पर बैठ चुके हैं।

यह भी वादा किया गया था इस देश की जनता के साथ कि यदि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा संचालित परीक्षाओं का माध्यम भारतीय भाषाओं को नहीं बनाया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो हम नेता लोग जेल में भी जाएंगे। मैं इस संसद के माध्यम से उन सारे नेताओं को यह याद भी दिलाने के लिए खड़ा हूं और पुनः इस बात पर बल देते हुए कि वास्तव में यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक पहचान् बनाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक साख बनाना चाहते हैं और समान अवसर सबको उपलब्ध कराना चाहते हैं, संवैधानिक मंशा को पूरा करना चाहते हैं कि भारत में रहने वाले हर इन्सान को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए तो परीक्षाओं का माध्यम और विशेष रूप से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं का माध्यम भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में जो मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं हैं, उन्हें बनाया जाना चाहिए।

मैडम, मैं चाहूंगा, चूंकि संसद ने यह संकल्प पारित किया है इसलिए आपके् द्वारा भी एक व्यवस्था दी जाए ताकि यह सरकार इस संसद के द्वारा पारित उस संकल्प को कार्यान्वित कर सके।

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): मैं अपने को इसके साथ जोड़ना चाहता हूं और एक और स्मरण दिलाना चाहता हूं..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): नहीं। आप बिना इजाजत के न बोलें। मैंने इजाजत नहीं दी है आपको। डा॰ नौनिहाल सिंह।

श्री नरेन्द्र मोहन: मैं अपने को इसके साथ जोड़ना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

श्री नरेन्द्र मोहन: आपसे अनुरोध है कि आप मुझे इजाजत दें।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): जी नहीं। डा॰ नौनिहाल सिंह।

RE. NEED TO PREPARE DOCUMENTON CORRESPONDENCE WITH DR. KORBEL TO BRIEF INDIAN DIPLOMATS

PROF. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Madam, this is a matter which is very important for the External Affairs Ministry. Ms Madeline Albright, the US Secretary of State designate, is the daughter of Dr. Joseph Korbel, the Czech diplomat who was Chairman of the UN Commission for India and Pakistan which formulated the basic resolution on the Kashmir dispute on August 13. 1948.

Now, with a US Secretary of State whose father played a crucial role informulating the initial UN stand on Kashmir, it will be useful if the Ministry of External Affairs would arrange to prepare a document on the correspondence between the Indian Government and Dr. Korbel to brief Indian diplomats on the views of Dr. Korbel.

Madam, I am not allowed to make further observations is this matter due to paucity of time. Hence, there are positive ramifications which our diplomats abroad should take advantage of while deliberating on Kashmir in the United Nations.

The crucial document in this is the letter of Dr. Korbel to the Prime Minister of India on August 25, 1948, in which Dr. Korbel, as Chairman of the U.N. Commission for India and Pakistan, conveyed to the Indian Prime Minister that the interpretation of the Resolution of August 13, 1948, as expressed in para 4 of the PM's letter to the Commission on August 20, 1948, coincides with its interpretation. Para 4 of the PM's letter reads:

> "If I understand you correctly, A, 3 of Part II of the Resolution does not envisage the creation of any of the canditions to which we have objected in para 3(1) of this letter."
>
> "In fact, you made it clear that the Commission was not competent to